Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ जयपुर में फर्जी RGHS अधिकारी बनकर अस्पताल की ऑडिट के नाम पर 40,000/– रुपये लेते संदिग्ध डिटेन।

जयपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर–तृतीय, जयपुर इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए संदिग्ध **मनीष कुमार शर्मा, हाल प्लाट नम्बर 14, एलजी–2, ग्राउण्ड फ्लोर, बंशीपुरी–प्रथम, जगतपुरा, जयपुर** को **40,000/– रुपये** रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात डिटेन किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर–तृतीय, जयपुर को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें परिवादी के एस.के.आई. हॉस्पिटल, डीडवाना, जिला नागौर की ऑडिट करवाने की एवज में संदिग्ध मनीष कुमार शर्मा द्वारा पहले 35,000/– रुपये एवं बाद में राशि बढ़ा कर 45,000/– रुपये की रिश्वत राशि की मांग करने के तथ्य सामने आए।

जिस पर ए.सी.बी. के **उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय, जयपुर श्री ओमप्रकाश मीणा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. जयपुर नगर–तृतीय, जयपुर **के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञान प्रकाश नवल** के नेतृत्व में जयपुर नगर–तृतीय टीम द्वारा ट्रैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान संदिग्ध मनीष कुमार शर्मा को परिवादी से 40,000/– रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात डिटेन किया गया।

प्रारम्भिक जांच में पाया गया कि संदिग्ध मनीष कुमार शर्मा द्वारा एआई की सहायता से फर्जी तरीके से श्री संतोष कुमार शर्मा के नाम से आरजीएचएस में डिस्ट्रिक्ट को–ऑर्डिनेटर पदनाम का पहचान पत्र तथा एस.के.आई. हॉस्पिटल, डीडवाना, नागौर को जारी पत्र क्रमांक 3350 दिनांक 22.08.2026 तैयार किया गया था। उक्त फर्जी पहचान पत्र एवं पत्र को संबंधित हॉस्पिटल के मैनेजर को दिखाकर पूर्व में 35,000/– रुपये एवं बाद में 45,000/– रुपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। साथ ही, संदिग्ध द्वारा स्वयं को आरजीएचएस में यूडीसी के पद पर होना बताते हुए परिवादी से आज 40,000/– रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई।

संदिग्ध को डिटेन करने के पश्चात उसका नाम एवं पदनाम भी फर्जी पाया गया तथा वह लोक सेवक नहीं है यह जानकारी भी प्राप्त हुई। प्रथम दृष्टया प्रकरण में धोखाधड़ी, फर्जी पहचान एवं प्रतिरूपण आदि के तथ्य सामने आने पर संदिग्ध के विरूद्ध अग्रिम कानूनी कार्रवाई हेतु पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर में आवश्यक कार्रवाई करवाई जा रही है।

–किसी व्यक्ति के विरुद्ध ए.सी.बी. में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, परिवाद आदि) दर्ज होने पर संबंधित व्यक्ति ए.सी.बी. से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण का ए.सी.बी. द्वारा विस्तृत विश्लेषण एवं परीक्षण किए जाने के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ए.सी.बी. की कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

यह जानकारी ए.सी.बी. के नाम/डर का दुरुपयोग कर होने वाली धोखाधड़ी आदि का शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाईन नम्बर 94135–02834 पर 24X7** सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।